जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सरायकेला-खरसावाँ।

मनरेगा नियुक्ति विज्ञापन संख्या - 02/2021-22

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-4729, दिनांक- 04.06.2007, अधिसूचना संख्या- 6440, दिनांक-17.07.2012 एवं संकल्प ज्ञापांक- (N) 848, दिनांक-21.03.2017 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीा रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के अंतर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिले में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता/कनीय अभियन्ता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्युटर सहायक एवं रोजगार सेवक के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति किया जाना है। रिक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र Online आमंत्रित किए जाते है। रिक्त पदों हेतु पदवार वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी सरायकेला-खरसावाँ जिले के **Web Site- www.seraikela.nic.in** पर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ तथा प्रखण्ड कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0	पद नाम	रिक्तियों की सं0					
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	पि.वर्ग	अनारक्षित	कुल
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	0	0	0	0	1	1
2	तकनीकि सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष),	0	0	0	0	1	1
3	तकनीकि सहायक,(कनीय अभियन्ता के समकक्ष),	0	3	0	1	2	6
4	लेखा सहायक	0	0	0	0	1	1
5	कम्प्युटर सहायक	0	2	0	0	0	2
6	रोजगार सेवक	0	5	1	0	7	13

(नोट - आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की कोटिवार संख्या में आवश्यकतानुसार संशोधन हो सकता है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी)

कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड,राँची का संकल्प ज्ञापांक-3198/दिनांक-18.04.16, संकल्प ज्ञापांक-5938, दिनांक-14.07.16, संकल्प ज्ञापांक-3854, दिनांक-01.06.18 तथा संकल्प ज्ञापांक-8468, दिनांक-20.11.18 के आलोक में उपरोक्त रिक्त पदों पर (क्र0सं0-3 से 6) संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला के स्थानीय अभ्यर्थी ही पात्र होगें। अतः योग्य अभ्यर्थियों से निम्न दिशा-निर्देश एवं शर्तो के तहत आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन की प्रकिया/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि - आवेदकों को Online विभागीय Recruitment Portal http:// applyrdd.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक-08.10.2021 से प्रारंम्भ होकर दिनांक-23.10.2021 तक भरा जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु निम्नवत् शर्त है :-

(1) **शैक्षणिक योग्यता** -

क्र0	पदनाम	योग्यता
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	1. **अनिवार्य योग्यता** - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा, उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है, परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेगें। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। 2. अतिरिक्त योग्यता - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0कम्प्युटर/ बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0(कम्प्युटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्याएं मानी जाएगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0 पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर को बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जाएगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। (b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जाएगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्युटर साईस या बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।

2	<u>तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)</u>	1. <u>अनिवार्य योग्यता</u> - सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी। 2. **अतिरिक्त योग्यता** - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0 /एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जाऐगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।
3	<u>तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)</u>	1. <u>अनिवार्य योग्यता</u> - सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। अपर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड के पत्रांक-1187/दिनांक-01.03.13 के आलोक में सिविल संकाय में बी0ई0/बी0टेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन करने योग्य होगें। किन्तु उक्त के कारण अतिरिक्त योग्यता में उन्हें बी0ई0/बी0टेक का अधिभार देय नहीं होगा। 2. **अतिरिक्त योग्यता** - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0,बी0सी0ए0 /बी0एस0सी0 कम्प्युटर/ बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0 /पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर को बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत में 5 क्रमशः घटा दिये जाएगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। (c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जाएगे । पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।
4	<u>लेखा सहायक</u>	1. <u>अनिवार्य योग्यता</u> - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होनें तत्पश्चात एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेगें परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। <u>2. अतिरिक्त योग्यता</u>- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 /पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जाऐगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी नें बी0सी0ए0 के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि रखा जायेगा।

5	<u>कम्प्युटर सहायक</u>	**<u>1. अनिवार्य योग्यता</u>** - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेगें (1) बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स (2) बी0एस0सी0 कम्प्युटर सामान्य (3) बी0सी0ए0 (4) सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण। (b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होनें तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा । **<u>2. अतिरिक्त योग्यता</u>** - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0 पी0जी0डी0सी0ए0 /एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।
6	<u>ग्राम रोजगार सेवक</u>	**<u>1. अनिवार्य योग्यता</u>** - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से इंटरमीडियेट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेक में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडियेट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। **<u>2. अतिरिक्त योग्यता</u>** - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। <u>3.</u> अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

कंडिका 1-6 में वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।

CGPA/SGPA/GRADE के अंक को Conversion Certificate संलग्न करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किया जाय।

(2) **मासिक परिलब्धि/संविदा राशि** - ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-(N) 1742, दिनांक- 03.07.19 के आलोक में मासिक मानदेय निम्नप्रकार निर्धारित है। ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड,राँची द्वारा समय-समय पर संशोधित देय होगी।

क्र0	पद का नाम	मासिक परिलब्धि/संविदा राशि
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	19,500.00 रूपये (उन्नीस हजार पाँच सौ) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि
2	तकनीकि सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष)	19,234.00 रू0 (उन्नीस हजार दो सौ चौंतीस) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि
3	तकनीकि सहायक(कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	17,520.00 रू0 (सतरह हजार पाँच सौ बीस) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
4	लेखा सहायक	10,000.00 रू0 (दस हजार) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
5	कम्प्युटर सहायक	10,000.00 रू0 (दस हजार) प्रतिमाह(एक मुश्त संविदा राशि)
6	ग्राम रोजगार सेवक	7,500.00 रू0(सात हजार पाँच सौ) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)

(3) **आयु सीमा** - दिनांक 01.10.2021 को न्युन्तम 18 वर्ष तथा अधिकत्तम — <u>दिव्यांग के लिए</u>

(क) अनारक्षित वर्ग - 35 वर्ष — 45 वर्ष

(ख) पिछड़ा वर्ग/अन्यंत पिछड़ा वर्ग- 37 वर्ष — 47 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित पिछड़ा वर्ग/अन्यंत पिछड़ा वर्ग) - 38 वर्ष — 48 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(महिला एवं पुरूष) - 40 वर्ष — 50 वर्ष

(4) **राष्ट्रीयता**- आवेदक भारत का नागरिक हो।

(5) **आरक्षण**- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आरक्षण के दावा हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी पत्र/आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। दिव्यांगता के दावा हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(6) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। प्रारम्भिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(7) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11(ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

(8) यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की मासिक परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

(9) उक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा, साथ ही अपने आवेदन-पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा की झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। शपथ पत्र के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किये जाएगें। अर्पित शपथ पत्र कभी भी असत्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

(10) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा उक्त आलोक में अभ्यर्थियों की प्रारम्भिक मेघा सूची तैयार की जाएगी। ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति प्रारंभिक मेघा सूची से की जाएगी। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,तकनीकी सहायक(सहायक अभियंता के समकक्ष/कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक,कम्पयुटर सहायक के पद पर प्रारंभिक मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का Online दक्षता परीक्षा ली जाएगी। Online दक्षता परीक्षा Qualifying Nature का होगा। Online दक्षता परीक्षा अनुतीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम मेघा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

(11) सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 5994, दिनांक- 18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। जिसकी वैधता 02 वर्ष रहेगी।

(12) जिला स्तरीय नियुक्ति समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय नियुक्ति समिति का होगा।

ह०/-
उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ

ज्ञापांक..228/मनरेगा, दिनांक...6/10/21

प्रतिलिपि - सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को प्रेषित करते हुए निदेश है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि - जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त विज्ञापन को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त सूचना को (सॉफ्ट कॉपी संलग्न) जिले के वेबसाईट **Web Site- www.seraikela.nic.in** पर अविलम्ब प्रदर्शित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि - श्री राम कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड,राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि नियुक्ति विज्ञापन संख्या -02/2021-22 विभागीय Recruitment Portal http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर अभ्यर्थियों से online आवेदन समर्पित करने हेतु link उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि - मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०
उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ